मण्डल:- गोरखपुर,जनपद:- महाराजगंज,तहसील:- फरेन्दा
न्यायालय उपजिलाधिकारी
वाद संख्या:- 3422/2021
स्वर्ण प्रभा पी० जी० कालेज आनन्दनगर बजरिये अध्यक्ष श्रीमती रजत लता मिश्रा बनाम उ० प्र०
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202105470403422
अंतर्गत धारा:- 80,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006
आदेश तिथि:- 15/07/2021
अंतिम आदेश

प्रतिलिपि

निर्णय

वादी स्वर्ण प्रभा पी0 जी0 कालेज आनन्दनगर बजरिये अध्यक्ष श्रीमती रजत लता मिश्रा पत्नी भूपेन्द्र नाथ मिश्रा सा0 कैथवलिया सर्वजीत हाल मुकाम महदेवा बुजुर्ग तप्पा लेहड़ा, परगना हवेली, तहसील फरेन्दा, जनपद महराजगंज द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 राजस्व संहिता, 2006 इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि ग्राम महदेवा बुजुर्ग स्थित आ0 नं0 374 मि0 रकबा 0.321 हे0 भूमि पर स्वर्ण प्रभा पी0 जी0 कालेज का भवन व सहन चहारदिवारी के साथ निर्मित है। तथा आराजी नं0 359 रकबा 0.283 हे0 भूमि मौके पर बाग है, व आराजी नं0 141/659 रकबा 0.012 हे0 भूमि मौके पर खाली है। बन्दोबस्त में भूमि की श्रेणी, श्रेणी 1क संक्रमणीय भूमि अंकित है। उक्त भूखण्ड मौके पर वाणिज्यिक गतिविधि के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। ये सभी अकृषिक हैं। अन्त में उक्त आराजियात को अकृषिक घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

वाद पंजीकृत उपरान्त तहसीलदार से जाँच करायी गयी तहसीलदार ने प्रार्थना पत्र की जाँच क्षेत्रीय लेखपाल, राजस्व निरीक्षक से कराकर अपनी आख्यामय नजरी नक्शा दिनाँक 23-06-2021 को प्रस्तुत की। तहसीलदार द्वारा अपनी आख्या में स्पष्ट किया गया है कि आ0 नं0 374 मि0 रकबा 0.321 हे0 भूमि पर स्वर्ण प्रभा पी0 जी0 कालेज का भवन व सहन चहारदिवारी के साथ निर्मित है। तथा आराजी नं0 359 रकबा 0.283 हे0 भूमि मौके पर बाग है, व आराजी नं0 141/659 रकबा 0.012 हे0 भूमि मौके पर खाली है। उक्त आराजी नं0 359 रकबा 0.283 हे0 भूमि मौके पर बाग है जिसे अकृषिक घोषित नहीं किया जा सकता है। आ0 नं0 374 मि0 रकबा 0.321 हे0 को अकृषिक व आराजी नं0 141/659 रकबा 0.012 हे0 को अस्थायी रूप से अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। वादी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की शाखा फरेन्दा में राजकीय कोष चालान नं0 थ् 500001 से दिनाँक 28-06-2021 को वाणिज्यिक शुल्क 19902/- (मु0 उन्नीस हजार नौ सौ दो रुपये मात्र) जमा किया गया है। चालान की रसीद पत्रावली में संलग्न है, जिसे अकृषिक किये जाने हेतु संस्तुति की गयी है।

तहसीलदार की आख्या दिनाँक 23-06-2021 से स्पष्ट है कि आ0 नं0 374 मि0 रकबा 0.321 हे0 भूमि पर स्वर्ण प्रभा पी0 जी0 कालेज का भवन व सहन चहारदिवारी के साथ निर्मित है। तथा आराजी नं0 359 रकबा 0.283 हे0 भूमि मौके पर बाग है, व आराजी नं0 141/659 रकबा 0.012 हे0 भूमि मौके पर खाली है। उक्त आराजी नं0 359 रकबा 0.283 हे0 भूमि मौके पर बाग है जिसे अकृषिक घोषित नहीं किया जा सकता है। आ0 नं0 374 मि0 रकबा 0.321 हे0 को अकृषिक व आराजी नं0 141/659 रकबा 0.012 हे0 को अस्थायी रूप से अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। इसलिए आ0 नं0 374 मि0 रकबा 0.321 हे0 को अकृषिक व आराजी नं0 141/659 रकबा 0.012 हे0 को अस्थायी रूप से अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः तहसीलदार की आख्या दिनाँक 23-06-2021 के आधार पर ग्राम महदेवा बुजुर्ग तप्पा लेहड़ा के खतौनी वर्ष (1425-1430)फ0 के आ0 नं0 374 मि0 रकबा 0.321 हे0 पर दर्ज स्वर्ण प्रभा पी0 जी0 कालेज आनन्दनगर बजरिये अध्यक्ष श्रीमती रजत लता मिश्रा पत्नी भूपेन्द्र नाथ मिश्रा सा0 कैथवलिया सर्वजीत हाल मुकाम महदेवा बुजुर्ग तप्पा लेहड़ा, परगना हवेली, तहसील फरेन्दा, जनपद महराजगंज को अकृषिक घोषित किया जाता है। तथा आराजी नं0 141/659 रकबा 0.012 हे0 भूमि (भू-राजस्व रू0 15.40) को अस्थायी रूप से अकृषिक घोषित किया जाता है। तद्नुसार परवाना अमल दरामद जारी किया जाय। आदेश की प्रति उप निबन्धक फरेन्दा को भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखालय की जावे।

15/7/2021
उप जिलाधिकारी
फरेन्दा-महराजगंज।

नाम प्रार्थी श्री ...
नम्बर सवाल 187
तारीख सवाल 17-7-21
तादाद फीस 7-00
तादाद शब्द ...
तारीख नोटिस 17-7-21
तारीख हवालगी 17-7-21
हस्ताक्षर ...

प्रतिलिपि कर्ता
तुलना कर्ता
सत्यप्रतिलिपि
पेशकार
उप जिलाधिकारी/मजि०
फरेन्दा

Udai Bhan Rawat
NOTARY
Tahsil Sadar Gorakhpur